



दिनांक 18.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 25 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- ठगी/चोरी की पीली धातु के आभूषण
- ठगी/चोरी के माल ब्रिकी के 39 हजार रुपये नगद
- 01 मोबाइल फोन
- घटनाओं में प्रयुक्त मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 17/18.10.2025 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करतालपुर रोड़ कुन्दीगढ़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से ठगी/चोरी की पीली धातु के आभूषण, ठगी/चोरी के माल ब्रिकी के 39 हजार रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटनाओं में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद आजमगढ़ से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद गोरखपुर, कुशीनगर, सन्तकबीरनगर, आजमगढ़, महाराजगंज के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सुरेन्द्र कुमार निवासी सहजूपार थाना खजनी, सहजनवा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

- 1-ठगी/चोरी की पीली धातु के आभूषण।
- 2-ठगी/चोरी के माल ब्रिकी के 39 हजार रुपये नगद।
- 3-01मोबाइल फोन।
- 4-घटनाओं में प्रयुक्त मोटर साइकिल।
- 5-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना सलेमपुर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक:17.10.2025 को थाना सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इटहुआ चन्दौली मार्ग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सलेमपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-विवेक कुमार निवासी कुईचवर थाना भुलुअनी जनपद देवरिया।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना पड़री

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 50 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा

● घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा वाहन बरामद

दिनांक: 18.10.2025 को थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बर्जीमुकुन्दपुर हाईवे से 02 अभियुक्तों 1—पवन 2—चन्द्रशेखर कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 50 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना पड़री पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पवन निवासी ग्राम हफुआ थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।

2—चन्द्रशेखर कुमार निवासी ग्राम इकदेरवा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 50 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा वाहन।

जनपद पीलीभीत /थाना बरखेडा

● अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● 10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर

● 01 जीवित, 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर

● अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक—17.10.2025 को थाना बरखेडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दौलतपुर चौराहा से करोड़ चौकी की तरफ जाने वाले मार्ग पर खाली पड़े खंडहर से

अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—महेन्द्र 2—सद्दीक को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 जीवित, 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये ।

इस सम्बन्ध में थाना बरखेड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महेन्द्र निवासी ग्राम कितनापुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत ।

2—सद्दीक निवासी मोहल्ला ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत ।

बरामदगी

1— 10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर ।

2— 01 जीवित, 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर ।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि ।

➤ कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुड़म्बा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना गुड़म्बा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त तौफीक उर्फ भदउवा को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

—————